आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को पहला देहदान मिला

कोटा, (निसं)। मेरा जन्म वाहे गुरू जी का दिया हुआ, मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर समाज या देश के काम आ सकें यही मेरा सौभाग्य होगा। ऐसी सोच थी, स्टेशन रोड़ निवासी, रेल्वे विभाग से सेवानिवृत सरदार ओम प्रकाश सिंह की। सेवा को पूजा मानने वाले सरदार ओमप्रकाश काफी मेहनती, ईमानदार और निस्वार्थ भाव से जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे। बीते 15 दिन से ओमप्रकाश का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, उन्होंने देहदान का कोई संकल्प पत्र भी नहीं भरा हुआ था, परंतु अपनी देहदान करने की इच्छा, दोनों बेटों अमरजीत (ऑटो चालक) और चरणजीत (शिक्षक) को बता दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि, देहदान से व्यर्थ पेड़ नहीं जलेंगे, अनावश्यक की क्रियाओं में पैसा व्यर्थ नहीं होगा, रिश्तेदारों का शोक में आने-जाने में भी उनका समय और पैसा बचेगा।

पिता की अंतिम इच्छा जान, चरणजीत ने काफी समय पहले से ही शाईन इंडिया फाउंडेशन के डॉ.कुलवंत गौड़ से देहदान के संदर्भ में पूरी जानकारी ले ली थी, आज जब उनका देवलोक गमन हुआ, तो उन्होंने तुरंत ही डॉ.गौड़ के बताए हुए दिशा-निर्देशों को मानते हुए, रानपुर स्थित राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय में पिता के पार्थिव देह को दान किया। आयुर्वेदिक महाविद्यालय में मृत-देह के पहुँचते ही परिसर में कोटा के साथ-साथ अकलेरा, झुंझुनू भरतपुर के आयुर्वेद एवं योग महाविद्यालय से आये 300 से अधिक भावी आयुर्वेद चिकित्सकों ने ओमप्रकाश के पार्थिव देह पर पुष्पवर्षा की, साथ ही वेद मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के साथ देह को स्वीकार किया। उपस्थित भावी चिकित्सकों व कॉलेज के सभी स्टॉफ, चिकित्सकों ने सिर झुका कर देहदान करने वाले परिवार का अभिवादन किया।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.नित्यानंद शर्मा, शरीर रचना विभाग अध्यक्ष डॉ.निरंजन गौतम, और पूर्व प्राचार्य डॉ.विष्णु चंद जोशी ने देहदानी परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, देहदानी का एक शरीर अमूक शिक्षक के रूप में, पांच दस सालों तक, अध्ययन के काम आता है। प्रदोश और विजया एकादशी के दिन इस पुण्य कार्य का संपन्न होना देहदानी को मोक्ष की प्राप्ति देता है। देहदान के समय पर महाविद्यालय के चिकित्सक डॉ.प्रेम सिंह माली, डॉ.ओमप्रकाश गुप्ता, डॉ.मनीष मीणा, डॉ. बृजराज मालव, डॉ.श्याम स्वरूप मीना, डॉ.मांडवी गौतम डॉ.शकुन्तला नागर, डॉ.रंगोली चौहान, डॉ.सुरभि पंकज, संस्कृत टीचर निलेश जोशी, डॉ.विनोद मीणा उपस्थित थे।

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया

अजमेर/ बिजयनगर, (कासं)। अजमेर संभाग के ब्यावर जिले के बिजयनगर में स्कूल बालिकाओं के साथ ब्लैकमेल कांड मामले में मंगलवार को चार आरोपियों को पुलिस ने अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायाधीश ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गई। मालूम हो कि पूर्व में पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों की पीटाई कर दी थी।

ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।

- **कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल**

रिमांड समाप्त होने पर चार आरोपियों की पेशी: बिजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि चार आरोपियों की पांच दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर लुकमान उर्फ सोहेब, सोहेल मंसूरी, रिहान मोहम्मद और अफराज को कोर्ट में लेकर पहुंचे थे। अजमेर पॉक्सो कोर्ट में पेशी के दौरान सीओ रूद्रप्रकाश सहित चार थानों की पुलिस का जाप्ता तैनात रहा। थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि चोरों आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान गहन पूछताछ की गई। इनसे कई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। लुकमान और सोहेल ने पीडिताओं को मोबाइल फोन दिए थे। इस प्रकरण में पूर्व पार्षद से गहन पूछताछ जारी है। सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी।

आरोपियों की होगी क्रॉसटेली पूछताछ: - सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि बिजयनगर ब्लैकमले कांड के चार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया था।

मंगलवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुन: कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों के मोबाइल नंबर और गाडियो की जांच की गई। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अब इनसे आगे फिलहाल जांच की आवश्यकता नहीं है, जिस पर कोर्ट के न्यायाधीश ने चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। हालांकि जरूरत पडने क्रॉसटेली करने के लिए आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर सकेगी। सरकारी वकील परिहार ने बताया कि चारों मुख्य आरोपी है, इन्होंने ही नाबालिग पीडिताओं को मोबाइल फोन दिए थे और उसे रेस्टोरेंट-कैफे में बुलाकर रोजा पढ़वाने के लिए मजबूर करते थे। मसूदा में बंद, सर्व समाज ने की फांसी की मांग- इस घटना को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए सर्व समाज ने मंगलवार को मसूदा बंद रखा। स्थानीय लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। बंद के दौरान कस्बे में सभी प्रतिष्ठान बंद रहे।

टैंट लगाने गए युवक को ले गए कार सवार, 4 दिन बाद मिला शव

- **परिजनों ने दो युवकों पर लगाया हत्या का आरोप**

श्रीगंगानगर। घड़साना में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। टैंट हाउस पर काम करने वाले प्रवीण कुमार का शव सोमवार को मिला। वह 20 फरवरी से लापता था। घटना से आक्रोशित समाज के लोग मृतक के परिवार को मुआवजा, आरोपियों की गिरफ्तारी, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम की मांग को लेकर सीएचसी के सामने धरने पर बैठ गए।समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि युवक प्रवीण की मौत संदिग्ध हालात में हुई है, संभवत: इसकी हत्या की गई है। सूचना पाकर एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। इसके बाद एडिशनल एसपी ने मृतक के परिजनों एवं समाज के लोगों से समझाइश कर निष्पक्ष कार्रवाई करने का भरोसा दिया। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मृतक के भाई विकास कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आशीष बिश्नोई और विशाल गोदारा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DIVISION KARAULI
PH NO. 07464-250219 E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for transportation of water through tanker under Division Karauli are invited from interested bidders up to 27.02.2025 other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal eproc.rajasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website.
NIB CODE: PHE2425A4606

S.No.	NIT NO.	UBN
1.	125/2024-25	PHE2425WSOB09958
2.	126/2024-25	PHE2425WSOB09959
3.	127/2024-25	PHE2425WSOB09960
4.	128/2024-25	PHE2425WSOB09961
5.	129/2024-25	PHE2425WSOB09962
6.	130/2024-25	PHE2425WSOB09963
01	Total work	06
02	Total Estimate Cost	160.00 Lac
03	Bid submission end date	27.02.2025 up to 6.00 PM
04	Bid opening date	28.02.2024 at 03.00 PM

(Vijay Kumar Meena)
DIPR/C/2279/2025 Executive Engineer PHED Division Karauli

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड जालोर
क्रमांक-अअ/जा/2024-25/3735 दिनांक-11.02.2025
निविदा सूचना संख्या-18 वर्ष 2024-2025
NIB NO.

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन कार्य के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रू. लाख है के लिए ईटेण्डरिगं प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख	18 फरवरी 2024, 9.30 बजे से 27 फरवरी 2025, सायं 06.00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthn.gov.in व http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर क माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवार यू.बी.एन. संख्या निम्नानुसार है।
UBN NO. PWD2025WSOB15020, PWD2025WSOB15021, PWD2025WSOB15022
अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/2220/2025 सा.नि.वि. खण्ड जालोर

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र की 61 बीघा जमीन गायब

- **एनआरसीसी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर गुहार लगाई की 61 बीघा जमीन दिलाई जाए**
- **हकीकत ये है कि एनआरसीसी की 61 बीघा जमीन पर कब्जा हो गया।**

बीकानेर। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र की 61 बीघा जमीन खो गई। अब कलेक्टर को एनआरसीसी ने पत्र लिखा कि मेरी 61 बीघा जमीन दिलाई जाए। एनआरसीसी ने खसरे नंबर भी बताए और ये भी बताया कि कौन से खसरे में कितनी जमीन गायब है। जमीन की नापजोख हो तो गुम जमीनों का आकड़ा और बढ़ सकता है।

20 सितम्बर 1995 को क्रमोन्नत कर एनआरसीसी का गठन हुआ था। केन्द्र के पास करीब 2000 जमीन है। इतनी जमीन इसलिए क्योंकि यहां ना सिर्फ ऊंटों पर अनुसंधान होता है बल्कि उनके लिए चरागाह और फार्म भी हैं। मगर अब उसकी 61 बीघा जमीन गायब हो गई। खसरा नंबर 50 में चार बीघा जमीन गायब है। 52 नंबर खसरे में करीब 57 बीघा जमीन गायब हो गई। हालांकि एनआरसीसी गायब शब्द उपयोग में ले रहा है। जबकि हकीकत ये है कि एनआरसीसी की 61 बीघा जमीन पर कब्जा हो गया। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्र की जमीन भी नहीं छोड़ी। सरकारी विभाग होने के कारण इसकी जमीन की नापजोख कभी भी हो सकती है। बावजूद इसके केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र की जमीन पर कब्जा हो गया। कुछ कब्जे एनआरसीसी को साफ दिख भी रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एनआरसीसी के पास करीब चार खसरों में जमीन मिली है। जिसमें 50, 51, 52 में सर्वाधिक जमीन है। इन्हीं में 50 और 52 नंबर खसरे की जमीन पर खुला कब्जा है। एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि गंदे पानी के भराव स्थल समेत कुछ आसपास के इलाकों की अगर पैमाइश हो जमीन सामने आ सकती है। केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्र की जमीन बचानी है तो प्रशासन को बड़ा एक्शन लेना होगा। नगर निगम, बीकानेर विकास प्राधिकरण और प्रशासन के रेवेन्यू विभाग की संयुक्त टीम से सर्वे कराना होगा। अगर सर्वे होगा इस इलाके में कब्जे की कई परतें खुलेंगी। क्योंकि ये इलाका अब विकसित होने लगा है तो लोगों की नजरें गई हैं वरना इससे पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा कि कुछ जमीन तो सड़क में भी उपयोग में ली गई लेकिन 61 बीघा जमीन बहुत बड़ी होती है। एनआरसीसी को बीकानेर प्रशासन ने जमीन आवंटित की थी। जमीन का मालिकाना हक भी एनआरसीसी के पास है। जमीन को बचाने की पहली जिम्मेवारी एनआरसीसी की थी। जब पहली बार जमीन पर कब्जा हो रहा था उस वक्त एनआरसीसी को विरोध दर्ज कराना चाहिए था। एफआईआर करानी चाहिए थी। मगर जब कब्जा होता रहा। 61 बीघा जमीन हाथ से निकल गई जब प्रशासन से जमीन दिलाने के लिए पत्र लिखा। हालांकि अब भी अगर सर्वे होगा तो बीडीए, नगर निगम की जमीनों के हालात भी सामने आएंगे। क्योंकि अभी कई विभागों को अंदाजा नहीं कि उनकी जमीन के वहां क्या हालात हैं। - डॉ.एस.के.घुरई, कार्यवाहक निदेशक एनआरसीसी का कहना है कि कब्जे हो रहे हैं। सामने दिख रहे हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं।

वैदिक मंत्रोच्चार से महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना

मंदिर में हरीश कुमार की तरफ से भोलेनाथ की बड़ी प्रतिमा भेंट की गई।

- **अमरेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम एवं पूजा अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मंगलवार को बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ**

अजमेर (कासं)। अमरेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम एवं पूजा अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मंगलवार को बडी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ।

आरपीएसएसी अमरदीप कॉलोनी के अध्यक्ष आनंद माथुर एवं महिला मोर्चा समन्वयक नीतू बंसल ने बताया कि मंदिर में हरीश कुमार की तरफ से भोलेनाथ की बडी प्रतिमा भेंट की गई, जिसका 25 फरवरी को पंडितो द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम क्षेत्रवासियो ने बड चढ कर बडे उत्साह के साथ भाग लिया। मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमे क्षेत्रवासियों ने भोलेनाथ के मनमोहक भजनो की प्रस्तुति दी गई। इसके मंदिर मे रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमे भजन गायक कलाकारो ने एक से बढकर एक भजनो की प्रस्तुति दी, जहां श्रोताओ ने बडे उत्साह के साथ भजनो का आंनद लिया। इस दौरान कार्यक्रम मे आरपीएससी अमरदीप कॉलोनी के संरक्षक अरविंद शर्मा, रामस्वरूप काबरा, मंदिर समन्वयक राजेन्द्र भटनागर, नरेन्द्र सिंह शेखावत, चेतन उपाध्याय, चिरंजीलाल, जवाहर गुलाबचंदानी, सीमा राजेन्द्र बागडी, अमित टांक, सांवर प्रजापति, पुरूषोउत्तम बसरानी, झामन दास, कमलचंद जैन, राजेश जैन, मदन लाल गौड सहित क्षेत्रवासियो का सहयोग रहा।

ईपीएफओ कर्मचारी को किया ट्रैप

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर सीबीआई की टीम ने भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए ईपीएफओ के कर्मचारी अक्षय मीणा उर्फ कृष्ण कांत को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एक विधवा महिला की पेंशन शुरू करने के बदले रिश्वत मांगे जाने के मामले में की गई इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर दोपहर बाद उसे दुबारा कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सीबीआई के अनुसार भीलवाड़ा के हुरडा तहसील के तसवारिया में हरिपुरा निवासी जसराज कुम्हार की ओर से सीबीआई जोधपुर में एक शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसके पिता भंवरलाल आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड (मयूर मिल) में काम करते थे। वहां से वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 819 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। गत 24 जुलाई 2021 को परिवादी के पिता का निधन हो गया। इसके बाद मृतक की पत्नी नोरतीदेवी की पेंशन शुरू होनी थी लेकिन अब तक यह पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। इसी मामले को लेकर परिवादी भीलवाड़ा स्थित ईपीएफओ कार्यालय पहुंचा और वहां कार्यरत बाबू अक्षय मीणा से मिला। तब उसने विधवा की पेंशन शुरू कराने की एवज में रिश्वत मांगी।

In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur
S.B./DB/PIL Civil Writ Petition No. /2025
Any person/Company/Society/Stack Holders/Firm ...Petitioner
Versus
Kota Development Authority through its Secretary, CAD Circle, Kota ....Respondent
Application under Rule 159 of Rajasthan High Court Rules for entering into Caveat
MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:
Your Lordship humble applicant wants to enter into caveat under Rules 159 of the Rajasthan High Court Rules and let nothing be done till the applicants are heard. in the matter.
The particulars of the S.B./DB/PIL Civil Writ petition which is likely to be filed are given below.
The S.B./DB/PIL Civil Writ Petition may be filed by the following person:
Any person/Company/Society/Stack Holders/Firm etc.
The S.B./DB/PIL Civil Writ Petition may be filed against:-
Kota Development Authority through its Secretary, CAD Circle Kota.
That the S.B./DB/PIL Civil Writ petition may is likely to be filed in the matter of Khasra No. 271, 273 and 124 to 131, 133, 134 and Block-A, Khasra No. 110, 112, 142, 142/273, 142/274, 142/275, 142/276, 144, 144/277, 144/278, 144/279, 144/280, 144/281 total 13 and Block-B, 148, 151, 154, 155, 157, 157/283 to 157/291, 159/262, 160/295, 173, 173/299, 175/301 and in addition to nearby the proposed scheme Khasra No. 106, 160, 160/296, 160/297, 160/298, 157/292, 157/293 situated at Village Govindpur Babdi and Ballop District Kota for proposed new residential scheme.
The Vakalatnama on behalf of Kota Development Authority through its Secretary is submitted herewith.
It is therefore humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.
Jaipur, Dated : 25.02.2025
HUMBLE Applicant
Kota Development Authority
Through Counsel:
(Satyanarayan Kumwat) Advocate
R/571/1993
(M) 9314883733
emailID-snkumawat5039@gmail.com

आरोपी बरी

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी पंकज को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द किया। जब आरोपी पंकज पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगा था। निचली अदालत ने पंकज को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उसे अधिकतम 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म के आरोपों का समर्थन नहीं किया।

साले ने की जीजा से 60 लाख की धोखाधड़ी

- **प्लॉट बेचने के नाम धोखाधड़ी का आरोप, बोले-जमीन और रुपए भी नहीं लौटाने का मामला**

पाली, (नि.सं.)। पाली के कोतवाली थाने में एक जीजा ने अपने ही साले पर प्लॉट बेचने के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि साले ने पाली में जो प्लॉट उसके नाम करा चारदीवारी पर रुपए खर्च कराए। उस प्लॉट को आरोपी ने पूर्व में किसी और को बेच दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि पाली जिले के रानी के निंबाड़ा गांव हाल मैसूर निवासी सुरेंद्रसिंह पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बापू नगर विस्तार निवासी दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र मालमसिंह जो रिश्ते में उसका साला लगता है। जिसने यह कहते हुए प्लॉट खरीदने के झांसे में लिया कि मैसूर से पाली आते-जाते रहने के कारण उन्हें पाली में प्लॉट लेना चाहिए। पाली में मरूधर केसरी नगर विकसित कर उसके नाम की 5 बीघा जमीन में प्लॉट काटकर बेचने की बात कही। आरोप है कि दिनेश सिंह ने पांच-पांच लाख रुपए में उक्त योजना में भुखण्डो संख्या 38 और 39 को उसके नाम एग्रीमेंट कराया और डेढ़ लाख रुपए खर्च करवा चारदिवारी बनवा दी। दोनों प्लॉट का बेचान पंजीयन कराने को कहा, लेकिन वह टालता रहा। कुछ माह पहले सुरेंद्रसिंह को पता चला कि साले दिनेशसिंह ने धोखा करते हुए भूखंड का 2020 में बेचान पंजीयन कांतिलाल के नाम करवा रखा है।

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 03)/2025/ई-10196
ई-नीलामी विज्ञप्ति संख्या-(ERCC/RCC 03)/2025

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञप्ति से अप्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयन शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 50 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेट फार्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।
DIPR/C/2247/2025 (दीपक तॅवर) निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि. कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर 302005
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (कुसुम)
पुराना पावर हाउस राम मंदिर, जयपुर-302006 Energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, ईमेल: sekusum@jvvnl.org
ई- अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interested) सूचना

RESCO प्रणाली के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के COD से 25 वर्षों के लिए रूप-रेखा, सर्वेक्षण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव के लिए पात्र बोलीदाताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interested) में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कुसुम योजना घटक A के तहत JVVNL में 11kV फीडरों से जुड़े कृषि उपभोक्ताओं के सौरकरण हेतु 11kV लाइन के माध्यम से 33/11kV सब-स्टेशनों और सौर ऊर्जा संयंत्रों के RMS को जोड़ा जाना है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक NIT No. JVVNL/ACE (PPM)/SE(KUSUM)/XEN(Kusum)/ KUSUM-A/TN-04 के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में, किसी भी शुद्धिपत्र अथवा विस्तार की सुचना, केवल वेब साइट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, http://www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov पर प्रकाशित की जाएगी।
UBN is: VVN2425WLOB01213
जेपीआर-2958 (2025) अधीक्षण अभियंता (कुसुम)
राज.संवाद/सी/24/12237 बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

कार्यालय नगर निगम, पाली (राज.)
(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली, पिनकोड - 306401)
(टेली-फैक्स : 02932-221301, ई-मेल : cmcpali@yahoo.co.in,वेब-साईटः www.mcpali.com)
क्रमांक प. 12( )/विकास/2024-2025/10 दिनांक 20.02.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 10/2024-2025

नगर निगम, पाली की ओर से स्वायत्त शासन विभाग/नगर निगम, पाली से पंजीकृत या अन्य विभागो में "ए" अथवा "एए" श्रेणी मे पंजीकृत संवेदको से 7 कार्यो की (अनुमानित लागत रू 55.00 लाख) ऑनलाईन निविदाऐ आंमत्रित की जाती है। संवेदक दिनांक 21.09.2025 को प्रातः 09.00 बजे से दिनांक 04.03.2025 को सांय 6.00 बजे तक आनॅलाईन निविदाऐ जमा करा सकते है। निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण वेबसाई http://spp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in से तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। उक्त 07 कार्यो के यूबीएन संख्या निम्नानुसार है।
DLB2425WSOB17731 DLB2425WSOB17729 DLB2425WSOB17733
DLB2425WSOB17736 DLB2425WSOB17737 DLB2425WSOB17738
DLB2425WSOB17727
राज.संवाद/सी/24/12255 आयुक्त, नगर निगम, पाली

कोटा में प्रदेश और जिला प्रभारी के सामने बिफरे कांग्रेसी

- **जिला अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी**
- **अनुशासनहीनता के नाम पर सख्त नजर नहीं आ रही कांग्रेस**

कोटा, (निसं)। कोटा में कांग्रेस का आपसी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई मौकों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता संगठन प्रमुख पर आरोप लगाते ही रहे हैं और इस दौरान सार्वजनिक तौर पर विवाद भी खड़ा होता रहा है। इन घटनाक्रमों की जानकारी जिला प्रभारी के पास भी है परंतु अनुशासनहीनता पर अभी तक कोई कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है। अब आलम यह है कि कांग्रेस नेता सरकार से लड़ने की रणनीति बनाने के लिए अलग-अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं।

कोटा में कांग्रेस पदाधिकारी के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओ और नेता द्वारा नाराजगी जताई गई है।

ऐसे ही सह प्रभारी राजस्थान पूनम पासवान और विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर कोटा पहुंचे लेकिन उनके सामने ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बिफर पड़े। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी का विरोध कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता है। साथ ही जिला अध्यक्ष मुरदाबाद के ही नारे लगाने लगे। यह पूरा घटनाक्रम मंगलवार को कोटा सर्किट हाऊस में हुआ जहां पर सह-प्रभारी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह के कोई आयोजन की सूचना नहीं दी जाती है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में कैसे पहुंचेगा। विरोध कर रहे संजय यादव ने यह भी कहा कि पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं लेकिन उन्हें कार्यक्रम में जाने का अधिकार ही नहीं है।

जिला प्रभारी इंद्रराज गुर्जर ने इस संबंध में विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं से समझाईश भी की। साथ ही उनकी शिकायत को उचित स्तर पर पहुंचाने और समाधान दिलाने की बात कही है। विरोध करने पहुंचे लोगों में महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम सहित कई नेता शामिल थे। महिला कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम ने आरोप लगाया है कि देहात के मंडल अध्यक्षों को कार्यक्रम में बुलाया है।

मीटिंग की सूचना दी गई है जबकि शहर के मंडल अध्यक्षों को इसकी सूचना नहीं दी गई है। ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से जिला पदाधिकारी के स्वागत के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यालय की चाबी नहीं देने की शिकायत भी की है। साथ ही जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग भी की है। काफी साल रविंद्र त्यागी को जिला अध्यक्ष बने हुए हो गए हैं ऐसे में नई ऊर्जा के साथ दूसरे को मौका मिलना चाहिऐं। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा का कहना है कि जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। यहां तक कि कांग्रेस से जुड़े संगठनों की बैठक करने के लिए भी कार्यालय नहीं मिलता है। कांग्रेस में विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। निजी होटल में कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने मौके पर ही इस बात को लेकर नाराजगी जतानी शुरू कर दी कि उन्हें बैठक में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा तथा धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है। इस बात को लेकर कुछ देर तक होटल में ही गहमागहमी का माहौल बना रहा। वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस के पदाधिकारी पत्रकार वार्ता में आए तो उन्हें कांग्रेस मे हो रही अनुशासनहीनता के सवालों का सामना करना पड़ा।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-F.32 (B) (1) (After Policy-2025-26)EX/L/2025-04359/1519 दिनांकः 25.02.2025
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचनाः-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प.4 (1) वित्त/आब/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधानानुसार मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिय विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	11.03.2025	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रकियानुसार दिनांक-26.02.2025 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रू. 10,000 के गुणांक से बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2025-26 के पात्र अनुज्ञधारियों को वर्ष कमशः 2026-27, 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।

DIPR/C/____/2025 आबकारी आयुक्त, राजस्थान